रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह- नवम्बर-2013 मे पंजीत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर-2013	20	34580	28	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवम्बर-2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर-2013	21	20	29930	34580	28	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर-2013	02	01	9500	9500	04	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवम्बर-2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवम्बर-2013	19	19	20430	25080	24	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह नवम्बर 2013 के दौरान किये गये अच्छे कार्यो ब्यौरा

01- दि.-29.10.13 को दो बालक स्कूली ड्रेस में होशंगाबाद प्लेटफार्म नं. 01 पर सदिग्ंध अवस्था में घूमते हुये पाये गये जिनको उप निरीक्षक एस.एल.रावत हमराह प्र.आर.हेतराम परते उपथाना लाकर पूछतॉछ करने पर दोनों ने अपना नाम 1. निनेश उम्र 10 व-वर्ष व 2. प्रेम सागर उम्र 10 वर्ष बताया जो स्कूली ड्रेस में अपने गले में बैंक आफीसर पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल नरेला संकरी बाईपास रोड भोपाल का पहचान पत्र पहने हुये थे। उक्त दोनों बच्चों ने बताया कि हमारी स्कूल वैन छूट गई थी और हम पैदल अपने घर जा रहे थे तो रोड पर एक परपल नीले कलर कि मारूती वेन आकर रूकी उसमें पहले से तीन स्कूली बच्चे बैठे थे जो कि दूसरी स्कूल के थे तथा ड्रेस में ब्राउन कलर कि स्वेटर रेड पेंट पहने हुये थे तथा वैन में 04 अन्य व्यक्ति बैठे थे जो कि अपने मुहॅ पर कपडा बॉधे हुये थे। जिन्होने हमें जबरदस्ती से उस वैन में बैठा लिया और धमकी देकर भोपाल स्टेशन ले आये वहॉ पर हमारे बैग इत्यादि फेंक दिये और वे लोग हम पॉचों को गाडी अमर कंटक एक्सप्रेस में बिठाकर ले जा रहे थे तो हम उनके चगुंल से किसी तरह से यहॉ उतर गये है बच्चों के बताये अनुसार उक्त सूचना म.सु.नि.कक्ष भोपाल व निरीक्षक पोस्ट इटारसी स्टेशन पर दिया तथा बताये गये नम्बरो पर सूचना दिया गुमशुदगी कि रिपोर्ट अध्योध्यानगर पुलिस चौकी को दी बाद समय करीबन 20:15 बजे उन दोनो के परिजन आ.पो. होशंगाबाद में उपस्थित हुये तथा उन्होने बताया कि बच्चे 13:40 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बच्चे घर नही पहूंचे तो कुछ पता नही चल पाने पर उन्होंने गुमशुदी की रिपोर्ट पुलिस थाना अयोध्या नगर में दर्ज कराई गई। उक्त बच्चे अपने उपरोक्त बयान से नही पलटे बाद अमर कटंक एक्सप्रेस से अन्य तीन बच्चों के बारे में पूछताछ किया तो किसी प्रकार कि आगे की कोई जानकारी प्राप्त नही हुई तथा अयोध्यानगर पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक श्री खॉन से मोबाईल नं. 9425636544 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया तो उन्होने बताया कि इस चौकी व थाना पिपलानी तथा अन्य किसी जगह पर बच्चों द्वारा बताये गये अन्य तीन बच्चों की गुमशुदगी बाबत कोई रिर्पोट नही है आप इन बच्चेंा को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दे। जिस पर सूचना सर्व संबंधिंत अधिकारियों को देकर उपरोक्त दोनो बालकों को दर्शाये परिजनों को सुपुर्दगी नामा के तहत सुर्पुद किया।

02- दिनांक 04.11.2013 को उप निरीक्षक मानसिंह, प्र.आर. राजेश सिंह दौराने गस्त समय करीबन 08.00 बजे रेलवे स्टेशन जबलपुर प्लेटफार्म 01 कटनी छोर पर एक लड़का-लड़की को संदिग्ध अवस्था होने पर पूछताछ की गई। जिसमें लड़के ने अपना नाम अनूप कुमार उम्र 23 साल तथा लड़की ने अपना नाम चांदनी उम्र 15 साल बताया, दोनों को रेल पुलिस थाना, जबलपुर लाकर लड़की से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी व लड़के की विगत 02 माह से दोस्ती है। लड़की के द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर उनके परिजनों से संपर्क कर उक्त दोनों लड़का-लड़की के बयान दर्ज कर दोनों को मय पत्र के जीआरपी जबलपुर को सुपुर्द किया गया है।

03- दिनांक 08.11.2013 को रेसुब/पोस्ट-भोपाल की उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी हमराह स्टाफ सउनि हरीप्रकाश शर्मा व आरक्षक सागर सिंह मीणा के साथ भोपाल स्टेशन पर गस्त के दौरान एक लडकी अकेले प्लेटफार्म पर घूमती दिखाई देने पर शंका की दशा मे उपनिरीक्षक ने उससे पूछताछ किया तो लडकी ने अपना नाम गायत्री तरमैया उम्र 20 साल बताया जिसे बचपन संस्था के माध्यम से व उपनिरीक्षक ने स्वंय पूछताछ कर लडकी के घरवालो को सूचित किया, लडकी की माता परमीला बाई के रेसुबल थाना उपस्थित होने पर पुत्री को उनके सुपुर्द किया गया।

04- दिनॉक 08.11.2013 को ब्डप्ध्बज्ट.ड्डज्ज ने नोट कराया कि गाडी संख्या-12483 कोच्चीवली अमृतसर के कोच ए/1 में दो लावारिस बैग रखे होने की सूचना सउनि बृजपाल सिह, जीआरपी आर0 दयाचंद के साथ गाडी को अटेन्ड किया। टीटीई रामचंद्र सिह, मुख्यालय रतलाम ने लिखित तहरीर के साथ दो लावारिस बैग सुपुर्द किये। दोनो बैगों को पार्सल कार्यालय ले जाकर सीपीएस के समक्ष खोलकर देखने पर एक बैग महिला के कपडे तथा दूसरे बैग में पूजा का सामान व फल (सडे हुये) मिले फलों को निकालकर फेंक दिया गया तथा दोनो बैगों को मय सामान पार्सल कार्यालय कोटा के एल0पी0ओ0 में जमा कराया जिसका लॉट नं0-162/2 दिनॉक 08.11.2013 है। दोनो बैगों में पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे।

05- दिनांक 09.11.13 को उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी हमराह सउनि हरीप्रकाश शर्मा के साथ भोपाल स्टेशन पर गस्त के दौरान एक बालिका को अकेले प्लेटफार्म पर घूमती दिखाई देने पर पूछताछ किया तो बालिका ने अपना नाम मोनिक उम्र 14 वर्ष बताया। उनके परिजनों से संपर्क कर बालिका को बचपन संस्था की कार्यकर्ता जमुना फालके के माध्यम से उसकी मां नीतू को सुपुर्द किया गया है।

06- दिनांक 19.11.2013 को भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बालक लावारिश हालत में घूमते पाये जाने पर रेसुबल स्टाफ द्वारा उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम महेन्द्र अहिरवार पुत्र रामकिशोर अहिरवार उम्र 11 साल बताया। बाद बालक द्वारा बताये गये संपर्क नंबरों पर उसके परिजनों से बात कर रेसुबल थाना भोपाल बुलाया गया तथा बालक को बचपन संस्था भोपाल को सुपुर्द किया गया। दिनांक 20.11.2013 को बालक के पिता श्री रामकिशोर अहिरवार रेसुबल थाना भोपाल उपस्थित होने पर बालक को बचपन संस्था से लाकर बिना किसी शिकवा शिकायत के बालक को उनके पिता को सुपुर्दगी नामे के तहत सुपुर्द किया गया।

07- दिनांक 23.11.2013 को उप निरी0/गंगापुरसिटी हरीशरण सिंह मय स्टाफ गस्त के दौरान पाया कि यात्री गाडी सं0 15635 ओखा-गुहाटी एक्स0 के प्रस्थान के पश्चात प्लेटफार्म नं0 1 रेलवे लाईन के बीच एक नवजात बच्ची को किसी अज्ञात महिला द्वारा शौचालय से गिरा दिया गया। उक्त नवजात बच्ची को लाईन से उठाकर सिविल अस्पताल गंगापुरसिटी लेकर गये जिसके कारण नवजात बच्ची की जान बच पाई। इसकी जानकारी जीआरपी/गंगापुरसिटी को दी गई। बच्ची की मां को उक्त गाडी में

आगामी स्टेशनों पर ठहराव के समय तलाश करवाया गया परन्तु नही मिली। उक्त बच्ची को चाइल्ड लाईन सवाईमाधोपुर को समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत सुपुर्द किया गया।

08- दिनांक 24.11.2013 को सउनि महेश प्रसाद मिश्रा, आर. पुष्पराज पाण्डेय, म/आर. अर्चना कोरी दौराने गस्त जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म 01 स्थित व्हीआईपी साइडिंग के पास एक बाहरी व्यक्ति नाम महेन्द्र सिंह उम्र 24 साल को एक लेडिज पर्स लेकर भागते समय पकड़कर, रेसुब/पोस्ट जबलपुर लेकर आये। उदघोषणा कराने पर एक महिला नाम वर्तिका शर्मा उम्र 35 साल उपस्थित हुई, जिनको लेडिज पर्स दिखाया गया तो उनके द्वारा उक्त बैग को देखकर स्वयं का बैग होना बताया गया। पकड़े गये व्यक्ति को जीआरपी थाना जबलपुर के सुपुर्द किया गया। जीआरपी जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 214/13 धारा 379 आई.पी.सी. कायम कर विवेचना में लिया गया।

09- दिनॉक 27.11.2013 को ब्डप्ब्ब्ज्ट.ड्ज्ज ने मं0सु0नि0 कक्ष/कोटा को सूचना दिया कि गाडी संख्या-12980 जयपुर-बान्द्रा के कोच एस/2 की बर्थ नं0 23 के नीचे एक लावारिस सुटकेस रखा है। सूचना पर उनि/सवाईमाधोपुर महेश मीणा ने जीआरपी स्टाफ के साथ गाडी को अटेन्ड किया। टीटीई के0के0 मीना मुख्यालय सवाईमाधोपुर से सम्पर्क किया तो बताया कोच एस/2 की बर्थ नं0 23 के नीचे एक लावारिस बीना लॉक लगा काले रंग का सुटकेस रखा है जिसे खोलने पर 06 जोड़ी पेन्ट, 03 :ार्ट, 02 टी-शर्ट, 06 सेट लाख की चूड़े व 6 नग पाटला थे। जिसे सीपीएस/सवाईमाधोपुर तेजेन्द्रपाल सिंह को सुपुर्द किया।

10- दिनॉक 27.11.2013 को निरीक्षक/कोटा पोस्ट को श्री जितेन्द्र रावल मो0 नं0 8104068863 ने दो लावारिस बच्चो 1. धर्मू लाल पुत्र गंगाराम उम्र-12 वर्ष, निवासी- भवानीमण्डी (राज0) 2. साहिब पुत्र हेमलाल उम्र-12 वर्श, निवासी-जिला-मथुरा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। निरीक्षक/कोटा पोस्ट द्वारा एस0एस0/कोटा एवं आरक्षक/जीआरपी/कोटा भजनाराम के समक्ष चाईल्ड लाईन के सदस्य श्री रजत :ार्मा टीम मैम्बर हाटरोड़ कोटा मो0 नं0 9950375552 को सुपुर्द किया।

11- महिला वाहिनियों द्वारा यात्री सुरक्षा जागरूकता अभियानः- माह नवम्बर-2013 के दौरान प्रत्येक बुधवार निरीक्षक रमेश चन्द सिंह के नेतृत्व में सवाईमाधोपुर स्टेशन पर एवं प्रत्येक शनिवार को निरीक्षक प्रताप सिंह के नेतृत्व में कोटा स्टेशन पर महिला वाहिनी द्वारा महिला यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सवारी गाड़ियों के सामान्य कोचों की वीडियोग्राफी करवाई गई तथा मेघाफोन द्वारा उद्घोषणा कर यात्रियों को अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुऐं आदि नही लेने एवं अत्याचार आदि के संबंध में तुरन्त गाडी पर मौजूद रे0सु0ब0/जीआरपी एवं गार्ड आदि को सूचित करने हेतु अवगत कराया गया।

12- इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 400 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (च्तवीपइपजपवद व िंकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद व िजतंकमए चतवकनबजपवदए ेनचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 80,000/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह नवम्बर-2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	1387	772027
138	8836	3586039
139	00	00
141	189	131820
142	00	00
143	05	00
144	831	264455
145	587	78200
146	15	6000
147	1069	147285
153	00	00
154	11	39200
155	528	52250
156	209	14000
157	00	00
159	622	47800
160	06	00
161	00	00
162	510	18200
163	00	00
164	01	00
165	00	00
166	00	00
167	112	5100
172	01	00
173	00	00
174	06	29500
175	00	00
176	00	00
180-जी	00	00
कुल योग	**14925**	**5191876**